जीसीएमएस नं. 2016/00029

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 37/2016

1. गुरनाम सिंह पुत्र गुरा सिंह पुत्र काला सिंह जाति मजहबी निवासी हनुमानगढ बुर्ज तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब) जरिये मुखत्यार आमस वारिसान काला सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह

अपीलार्थी

बनाम

1. सुखदेव सिंह पुत्र श्री बन्ता सिंह जाति जटसिख निवासी गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. सुखमन्द्र सिंह पुत्र श्री बन्ता सिंह जाति जटसिख निवासी गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. भोला सिंह उर्फ गुरदीप सिंह पुत्र श्री सुखमन्द्र सिंह पुत्र जाति जटसिख निवासी गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4. रूप सिंह पुत्र श्री ईसर सिंह जाति बाजीगर निवासी चौहिलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0)।

रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सादुलशहर दिनांक 20.04.2016 अनवानी गुरनाम सिंह बनाम सुखदेव सिंह आदि प्रकरण संख्या 04/2015 अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम। अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :

1. श्री सुरेश अरोड़ा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री जरनैल सिंह टुरना अधिवक्ता, रेस्पो0

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

:: **आदेश**:: **दिनांक: 29.05.2026**

अपील अपीलांटान निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :–

1. यह कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का चक 23 के.एस.डी. तहसील सादुलशहर के पत्थर नम्बर 83/104 के मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 6 ता 9, 12 ता 14, 18 ता 23 कुल 3.288 हैक्टेयर स्वर्गीय अपीलांट का दादा काला सिह के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में थी। अपीलांट अपने दादा का पोता है इसलिए काला सिंह की मृत्यु के पश्चात् काला सिंह के उत्तराधिकारियों में निहित हो गई थी। इसलिए अपीलांट ने उक्त शीर्षक का वाद तहसीलदार सादुलशहर के यहां प्रस्तुत किया।

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

2. यह कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में एक प्रार्थना पत्र रूप सिंह रेस्पोडेन्ट संख्या –4 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसे पक्षकार बनाया जावें। रूप सिंह रेस्पोडेन्ट संख्या–4 को अधीनस्थ न्यायालय ने बतौर रेस्पोडेन्टस संख्या–4 बना लिया।

3. यह कि अपीलांट के उक्त वाद में रेस्पोडेन्ट पक्षकार 1 ता 4 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया और उसके पश्चात् किया। जवाब आने के पश्चात अपीलकृत निर्णय दिनांक 20.04.2016 को पारित किया गया जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जा रही है। निर्णय दिनांक 20.04.2016 की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न है जो अपास्त किये जाने योग्य है और अपीलांट का प्रकरण स्वीकार करते हुए कब्जा दिलाये जाने का आदेश पारित किया जावें।

4. यह कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 ने जवाब प्रस्तुत करते हुए खुद का कब्जा न मानते हुए यह उल्लेख किया कि इस आराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या–4 काबिज है। रेस्पोडेन्ट संख्या–4 द्वारा अपना जवाब भी प्रस्तुत किया जिसमें उसने यह उल्लेखित किया कि दिनांक 24.03.1989 से जरिये इकरारनामा इस आराजी को खरीद किया हुआ है। इसलिए उसका कब्जा शान्ति पूर्वक बिना किसी रूकावट के चला आ रहा है और कब्जा छुड़वाने की मियाद 12 साल है। इसलिए अपीलांट द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया है वो निरस्त फरमाया जावें। अपीलांट निवेदन करता है कि भूमि हस्तान्तरण अधिनियम की धारा 54 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि इकरारनामा के आधार पर किसी भी पक्षकार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इसके आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या–4 को कब्जा रखने का कोई अधिकार नहीं प्राप्त होता है। कानून की वस्तुस्थिति यह है कि इकरारनामा को सिविल न्यायालय में प्रस्तुत करके ही कार्यवाही करनी चाहिए थी चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने कोई कार्यवाही नहीं की। ऐसे बाहर मियाद इकरारनामा जो 12 साल से अधिक से पूर्व का है वह प्रारम्भिक रूप से शून्य है। इस इकरारनामा के आधार पर अपीलकृत आदेश रेस्पोडेन्ट संख्या–4 के हक में पारित करने का जो निर्णय किया गया वो पूर्णतः विधि विरूद्व होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

5. यह कि अपीलांट हरिजन है और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 जटसिख स्वर्ण जाति के है। रेस्पोडेन्ट संख्या–4 से मिली भगत करके उसकी तरफ से इकरारनामा के आधार पर जवाब प्रस्तुत किया जो वास्तव में वर्तमान समय में भी रेस्पोडेन्ट इस आराजी पर काबिज रहने के अधिकारी नहीं है।

6. यह कि अपीलांट गरीब आदमी है और उसके द्वारा यह भी अभिकथन किया गया कि अपीलांट के दादा ने कोई इकरारनामा नहीं किया। इसके अलावा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार काला सिंह की मृत्यु होने के पश्चात् अपीलांट का बतौर खातेदार काला सिंह की मृत्यु के पश्चात् राजस्व रिकॉर्ड में हो चुका है जिसकी चित्र प्रतिलिपि सलंग्न है। इसलिए अपीलांट खातेदार होने के कारण 183 (बी) का वाद प्रस्तुत किया गया था। अपीलाट का वाद स्वीकार न करके अपीलांट के वाद को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने में कानूनी भूल की है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

2. यह कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में एक प्रार्थना पत्र रूप सिंह रेस्पोडेन्ट संख्या –4 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसे पक्षकार बनाया जावें। रूप सिंह रेस्पोडेन्ट संख्या–4 को अधीनस्थ न्यायालय ने बतौर रेस्पोडेन्टस संख्या–4 बना लिया।

3. यह कि अपीलांट के उक्त वाद में रेस्पोडेन्ट पक्षकार 1 ता 4 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया और उसके पश्चात् किया। जवाब आने के पश्चात अपीलकृत निर्णय दिनांक 20.04.2016 को पारित किया गया जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जा रही है। निर्णय दिनांक 20.04.2016 की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न है जो अपास्त किये जाने योग्य है और अपीलांट का प्रकरण स्वीकार करते हुए कब्जा दिलाये जाने का आदेश पारित किया जावें।

4. यह कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 ने जवाब प्रस्तुत करते हुए खुद का कब्जा न मानते हुए यह उल्लेख किया कि इस आराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या–4 काबिज है। रेस्पोडेन्ट संख्या–4 द्वारा अपना जवाब भी प्रस्तुत किया जिसमें उसने यह उल्लेखित किया कि दिनांक 24.03.1989 से जरिये इकरारनामा इस आराजी को खरीद किया हुआ है। इसलिए उसका कब्जा शान्ति पूर्वक बिना किसी रूकावट के चला आ रहा है और कब्जा छुड़वाने की मियाद 12 साल है। इसलिए अपीलांट द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया है वो निरस्त फरमाया जावें। अपीलांट निवेदन करता है कि भूमि हस्तान्तरण अधिनियम की धारा 54 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि इकरारनामा के आधार पर किसी भी पक्षकार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इसके आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या–4 को कब्जा रखने का कोई अधिकार नहीं प्राप्त होता है। कानून की वस्तुस्थिति यह है कि इकरारनामा को सिविल न्यायालय में प्रस्तुत करके ही कार्यवाही करनी चाहिए थी चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने कोई कार्यवाही नहीं की। ऐसे बाहर मियाद इकरारनामा जो 12 साल से अधिक से पूर्व का है वह प्रारम्भिक रूप से शून्य है। इस इकरारनामा के आधार पर अपीलकृत आदेश रेस्पोडेन्ट संख्या–4 के हक में पारित करने का जो निर्णय किया गया वो पूर्णतः विधि विरूद्व होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

5. यह कि अपीलांट हरिजन है और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 जटसिख स्वर्ण जाति के है। रेस्पोडेन्ट संख्या–4 से मिली भगत करके उसकी तरफ से इकरारनामा के आधार पर जवाब प्रस्तुत किया जो वास्तव में वर्तमान समय में भी रेस्पोडेन्ट इस आराजी पर काबिज रहने के अधिकारी नहीं है।

6. यह कि अपीलांट गरीब आदमी है और उसके द्वारा यह भी अभिकथन किया गया कि अपीलांट के दादा ने कोई इकरारनामा नहीं किया। इसके अलावा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार काला सिंह की मृत्यु होने के पश्चात् अपीलांट का बतौर खातेदार काला सिंह की मृत्यु के पश्चात् राजस्व रिकॉर्ड में हो चुका है जिसकी चित्र प्रतिलिपि सलंग्न है। इसलिए अपीलांट खातेदार होने के कारण 183 (बी) का वाद प्रस्तुत किया गया था। अपीलाट का वाद स्वीकार न करके अपीलांट के वाद को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने में कानूनी भूल की है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

7. यह कि अपीलांट निवेदन करता है कि जो दैनिक डायरी रेस्पोडेन्ट संख्या–4 द्वारा प्रस्तुत की गई उसमें भी इकरारनामे का उल्लेख किया हुआ है और जो दैनिक डायरी में पटवारी हल्का द्वारा साजिशी तौर से गलत रिपोर्ट की है। रेस्पोडेन्ट द्वारा इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दैनिक डायरी व इकरारनामा के आधार पर अपीलकृत आदेश रेस्पोडेन्ट संख्या–4 के हक में करने में कानूनी भूल की है।

8. यह कि अपील सुनने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को है जो पूरे न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः अपील अपीलांटान प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.04.2016 को अपास्त किया जाकर अपीलांट को 183(बी) के अन्तर्गत तुरन्त कब्जा दिलाये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

अपील पेश होने पर दर्ज की गई। रेस्पोडेंट्स को तलब किया गया और अधीनस्थ न्यायालय से रिकॉर्ड तलब किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का चक 23 के.एस.डी. तहसील सादुलशहर के पत्थर नम्बर 83/104 के मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 6 ता 9, 12 ता 14, 18 ता 23 कुल 3.288 हैक्टेयर स्वर्गीय अपीलांट का दादा काला सिह के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में थी। जिसका निर्णय तहसीलदार सादुलशहर द्वारा दिनांक 20.04.2016 को किया गया जिसके विरूद्व उक्त अपील श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सादुलशहर द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या –4 को उसके प्रार्थना पत्र पर उक्त वाद में पार्टी बनाया गया है, जिसके द्वारा अपने जवाब प्रार्थना में उल्लेख किया है कि उक्त विवादित भूमि जरिये ईकरारनामा दिनांक 24.03.1989 से खरीद की गई है जिस पर उसका कब्जा शान्ति पूर्वक चला आ रहा है। अपीलांट निवेदन करता है कि भूमि हस्तान्तरण अधिनियम की धारा 54 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि इकरारनामा के आधार पर किसी भी पक्षकार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इसके आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या–4 को कब्जा रखने का कोई अधिकार नहीं प्राप्त होता है। कानून की वस्तुस्थिति यह है कि इकरारनामा को सिविल न्यायालय में प्रस्तुत करके ही कार्यवाही करनी चाहिए थी चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने कोई कार्यवाही नहीं की। ऐसे में मियाद बाहर इकरारनामा जो 12 साल से अधिक से पूर्व का है वह प्रारम्भिक रूप से शून्य है। जिस इकरारनामा के आधार पर अपीलकृत आदेश रेस्पोडेन्ट संख्या–4 के हक में पारित किया गया वो पूर्णतः विधि विरुद्व होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट हरिजन है और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 जटसिख स्वर्ण जाति के है जो उक्त विवादित आराजी पर काबिज रहने के अधिकारी नहीं है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार काला सिंह की मृत्यु होने के पश्चात् अपीलांट को बतौर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। इसलिए अपीलांट खातेदार होने के

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

कारण 183 (बी) का वाद प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दैनिक जायरी व इकरारनामा के आधार पर अपीलकृत आदेश रेस्पोडेन्ट संख्या–4 के हक में करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांटान स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.04.2016 को अपास्त किया जाकर कब्जा दिलाये जाने का आदेश दिया जावें।

रेस्पोडेन्ट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सादुलशहर द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत् है, क्योंकि तहसीलदार सादुलशहर ईकरारनामा के आधार पर काबिज हरिजन व्यक्ति को उसके पुराने कब्जा के आधार कब्जा मानते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का चक 23 के.एस.डी. तहसील सादुलशहर के पत्थर नम्बर 83/104 के मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 6 ता 9, 12 ता 14, 18 ता 23 कुल 3.288 हैक्टेयर भूमि दिनांक 20.04.2016 को खारिज किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट का अपनी बहस में यह कथन कि इकरारनामा के आधार पर किसी भी पक्षकार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इकरारनामा के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या–4 को कब्जा रखने का कोई अधिकार नहीं है। रेस्पोडेन्टस् कानून इकरारनामा को सिविल न्यायालय में प्रस्तुत करके ही कार्यवाही करनी चाहिए थी, जो उसके द्वारा नहीं की गई, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या–4 द्वारा मूल दीवानी प्रकरण संख्या 13/2015 में श्रीमान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सादुलशहर निर्णय दिनांक 02.02.2026 द्वारा ईकरारनामा को वैध मानते हुए दिनांक 04.05.2026 को रजिस्ट्री रेस्पोडेन्ट संख्या–4 के नाम से करवाई गई है। श्रीमान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सादुलशहर द्वारा इकरारनामा को वैध माने जाने पर उनके निर्णय दिनांक 04.05.2026 द्वारा रजिस्ट्री भी रेस्पोडेन्ट संख्या–4 के नाम होने पर उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में स्वतः ही दर्ज हो जावेगा। अतः तहसीलदार सादुलशहर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.04.2016 को बहाल रखा जाकर अपील अपलार्थी खारिज फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपील तहसीलदार, सादुलशहर के निर्णय दिनांक 20.04.2016 के विरूद्व पेश की गई है। तहसीलदार सादुलशहर ईकरारनामा के आधार पर काबिज हरिजन व्यक्ति को उसके पुराने कब्जा के आधार कब्जा मानते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का चक 23 के.एस.डी. तहसील सादुलशहर के पत्थर नम्बर 83/104 के मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 6 ता 9, 12 ता 14, 18 ता 23 कुल 3.288 हैक्टेयर भूमि दिनांक 20.04.2016 को खारिज किया गया है। उक्त इकरारनामा वैध है या नही के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट संख्या–4 द्वारा श्रीमान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सादुलशहर के यहां दिवानी प्रकरण संख्या 13/2015 पेश किया। श्रीमान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सादुलशहर द्वारा दिवानी प्रकरण संख्या 13/2015 में निर्णय दिनांक 02.02.2026 पारित करते हुए उक्त विवादित ईकरारनामा को वैध मानते हुए दिनांक 04.05.2026 को रजिस्ट्री रेस्पोडेन्ट संख्या–4 के नाम से माननीय सिविल न्यायालय

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

सादुलशहर द्वारा करवाये जाने के आदेश पारित किये। माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सादुलशहर के रीडर ग्रेड तृतीय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या–4 के पक्ष में रजिस्ट्री अपनी उपस्थिति में करवाई गई है। माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सादुलशहर द्वारा इकरारनामा को वैध माने जाने पर उनके निर्णय दिनांक 04.05.2026 द्वारा रजिस्ट्री भी रेस्पोडेन्ट संख्या–4 के नाम होने पर उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड मे स्वतः ही दर्ज हो जावेगा। अतः तहसीलदार सादुलशहर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.04.2016 को माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सादुलशहर के निर्णय दिनांक 04.05.2026 द्वारा इकरारनामा बहाल रखा जाने पर यथावत रखा जाता है। अतः अपील अपीलार्थी स्वतः निष्प्रभावी होने के कारण जाकर खारिज फरमाई जाती है। आदेश की प्रति मय रेकार्ड के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। पत्रावली फैंसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें।

आदेश आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबोध कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर।

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)